

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, 174505

के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1. प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत धनेड में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मति कुंडला देवी	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति बेबी रानी	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतर्शेष में अंतर का समाधान न करना	0.02
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	19.82
3	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष	0.01

4	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	7.24
5	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.20
6	9.1	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.16
7	9.2	अनुदान व मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु राशि का अधिक भुगतान करना	0.57
8	9.3	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना	2.94
9	9.4	निविदाओं में निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान करना	0.06
10	9.5	मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्य में दोहरा भुगतान करना	0.01
11	9.6	अनुदान प्लानिंग शीर्ष के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु बिना बिलों के भुगतान करना	0.18

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जो कि चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	4.3	अनिर्णीत	
2	5.1, 5.2	अनिर्णीत	
3	7	अनिर्णीत	

4	8	अनिर्णीत	
5	10	अनिर्णीत	

(ii) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क राशि ₹7400/- प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	4	निर्णीत	कोई भी आपति व शेष न पाये जाने उपरांत
3	5	अनिर्णीत	
4	6 (क, ख)	अनिर्णीत	
5	7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित।
6	8	अनिर्णीत	
7	9	निर्णीत	अभिलेखों की जांच व जमा पुष्टि उपरांत
8	10	अनिर्णीत	
9	11	निर्णीत (1,2,3,4,7,8,10) अनिर्णीत (5,6,9,11)	अभिलेखों की जांच व सचिव द्वारा प्रस्तुत उतर की पुष्टि उपरांत
10	12	अनिर्णीत	
11	13	अनिर्णीत	
12	14	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹1727 की वसूली सम्बन्धी अभिलेखों की जांच व जमा पुष्टि उपरांत
13	15	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹923 की वसूली सम्बन्धी अभिलेखों की जांच व जमा पुष्टि उपरांत
14	16	अनिर्णीत	
15	17	निर्णीत	अभिलेखों की जांच व पुष्टि उपरांत
16	18	अनिर्णीत	
17	19	अनिर्णीत	

18	20	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित।
19	21	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11.07.2025 से 17.07.2025 तक ग्राम पंचायत धनेड, के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	02/2025

अस्वीकरण (Disclaimer) :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 143/2025 दिनांक 16/07/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा पंजाब नेशनल बैंक धनेड, हमीरपुर के **DD NO - URB 774442** दिनांक **18.07.2025**, द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत धनेड, द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 136/2025 दिनांक 11.07.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान (3) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान, 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्व: स्त्रोत व अनुदान:-

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक की स्व: स्त्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2024-25	2571620.64	1789637.00	4361257.64	2379576.00	1981681.64

(ख) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1301535.00	1357772.00	2659307.00	236563.00	2422744.00

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि शीर्ष	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्व: स्त्रोत व अनुदान	2024-25	2571620.64	1789637.00	4361257.64	2379576.00	1981681.64
15वां वित्तायोग शीर्ष	2024-25	1301535.00	1357772.00	2659307.00	236563.00	2422744.00
मनरेगा	2024-25	0.00	2205932.00	2205932.00	2205932.00	0.00
संकलित वित्तीय स्थिति	2024-25	3873155.64	5353341.00	9226496.64	4822071.00	4404425.64

- (2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100118450	214333.60
2	स्व: स्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100112997	731186.18
3	स्व: स्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100112988	1015835.57
4	स्व: स्रोत व अनुदान	इंडस इंड बैंक हमीरपुर	100201514082	22156.00
5	15 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100150544	2422744.00
कुल योग				4406255.35

- (3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार :-

दिनांक 31.03.2025 को वित्तीय स्थिति का अंत शेष			
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष		4404425.64
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	4406255.35	4406687.35
3	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि	432.00	
अंतर			2261.71
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी			
1	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित) की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष		1981681.64
2	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष		2422744.00
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष		4404425.64
4	दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (जमा)		1829.71
5	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का शुद्ध अंतिम शेष		4406255.35
6	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष		4406255.35
अंतर			0.00

- (4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में ₹0.02 लाख अंतर का समाधान न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2025 को सलग्न **परिशिष्ट-1.3** अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतिम शेष में राशि **₹1829.71** का अंतर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 142/2025 दिनांक 16/07/2025 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि वारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि के अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) स्वः स्त्रोत निधि के लिए अलग से खाते का संचालन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के स्वः स्त्रोत खाता (क) (स्वः स्त्रोत के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्वः स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते में कार्यालय व्यय व पंचायत के पदाधिकारियों के वेतन राशि के लेन-देन की प्रविष्टियाँ भी होने के कारण यह पूर्ण रूप से स्वः स्त्रोत निधि (क) को नहीं दर्शाता है जिसके संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 142/2025 दिनांक 16.07.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को स्वः स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते को अलग से संधारित न करने बारे अवगत करवाया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि स्वः स्त्रोत (क) की रोकड़ बही को पूर्ण रूप से अलग करके संधारित कर लिया जाएगा।

अतः विभिन्न अनुदानों के समिलित होने के कारण पंचायत की स्वः स्त्रोत (क) की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका तथा भविष्य में स्वः स्त्रोत की रोकड़ बही व बैंक खाते में केवल स्वः स्त्रोत निधि की आय व व्यय (अनुदानों के अतिरिक्त) का लेन-देन करना ही ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्व: स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 136/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य है।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्व:स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्व:स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹19.82 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेंसी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है”।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 136/2025 दिनांक 11.07.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट-1** पर सलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से राशि **₹1981681.64** उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 136/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है”।

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 136/2025 दिनांक 11.07.2025 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच-एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएंगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है”। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 136/2025 दिनांक 11.07.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया

है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोज की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.01 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 136/2025 दिनांक 11.07.2025 के प्रतिउत्तर में सलग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन व अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर राशि ₹600.00 वसूली हेतु शेष थी। अतः शेष पंचायत राजस्व की प्राप्ति न कर पाने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए गृहकर की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹7.24 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

“हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास “फार्म डब्ल्यू” या सप्लीमेंटरी पास “फार्म एक्स” उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म ‘एक्स’ या ‘डब्ल्यू’ प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलग्न नहीं थे।

परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट-3** अनुसार राशि **₹724395.00** का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 142/2025 दिनांक 16.07.2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अंकेक्षणापत्ति उपरान्त दोहराई गई अनियमितता के दृष्टिगत मान्य नहीं है। अतः उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.20 लाख का अधिक भुगतान करना :-

“हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जिसे अगले माह की 10 तारीख तक सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति हेतु सलग्न **परिशिष्ट-4** अनुसार राशि **₹990809.00** (जी.एस.टी. को छोड़कर) का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹19816.18** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 142/2025 दिनांक 16.07.2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि “उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों से नहीं

की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 पत्थरों की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स स्पेसिफिकेशन अध्याय-2 के पैरा 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु सलग्न **परिशिष्ट-5** अनुसार राशि ₹130164.00 का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व (Voids) की कटौती न करने के कारण **राशि ₹16270.50** का अधिक भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अध्यायचना संख्या 142/2025 दिनांक 16.07.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के फलस्वरूप की गई अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण से शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापना नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाए।

9.2 अनुदान प्लानिंग व मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु राशि ₹0.57 लाख का अधिक भुगतान करना:-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय / अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 02/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि सलग्न **परिशिष्ट-6** अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा **राशि ₹56740.00 का रेत, टाइल्स, तथा आइरन शीट** के रूप में माप पुस्तिका में दर्ज कुल मात्रा से अधिक मात्रा के वाउचरों में दर्शाई गई सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 142/2025 दिनांक 16.07.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अनियमित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

9.3 राशि ₹2.94 लाख क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टॉक /सामान की प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि सलग्न **परिशिष्ट-7** अनुसार **राशि ₹294169.00** की सामग्री की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति व खपत / जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 142/2025 दिनांक 16/07/2025 द्वारा यह प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक

17.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में क्रय किए गए सामान स्टॉक प्रविष्टियां कर ली जाएंगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अभिलेख में नियमानुसार करके अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत किये जायें।

9.4 निविदाओं में निर्धारित दर से अधिक दर से अदायगी के फलस्वरूप राशि ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना:-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय / अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा”।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 02/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा व अनुदान प्लानिंग शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था:-

(1) **निर्माण कार्य सामुदायिक भवन गाँव लिंगविन**, के लिए वाउचर संख्या 4483, 4484, 4739 व 4745 द्वारा लोहे के सामान के क्रय हेतु ढुलाई व मजदूरी के रूप में राशि **₹2562.00** का अधिक भुगतान किया गया था जबकि चयनित/निर्धारित निविदाओं की जांच में पाया गया कि ढुलाई व मजदूरी की भुगतान राशि लोहे के सामान की क्रय मूल्य में ही सम्मिलित थी।

(2) **निर्माण कार्य रास्ता और सुरक्षा दीवार गाँव धनेड**, के लिए वाउचर संख्या 171 दिनांक 24.12.2024 द्वारा एरिया शटरिंग 60 वर्ग मीटर हेतु राशि ₹90 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल राशि ₹5400.00 का भुगतान किया गया था जबकि चयनित/निर्धारित निविदाओं की जांच में पाया गया कि शटरिंग का भुगतान, राशि ₹48 प्रति वर्ग मीटर से कुल राशि ₹2880.00 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा शटरिंग के भुगतान हेतु ₹48 प्रति वर्ग मीटर के विपरीत ₹90 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल राशि **₹2520.00** का अधिक भुगतान किया गया था।

(3) **निर्माण कार्य महिला मण्डल भवन गाँव तलासी**, के लिए वाउचर संख्या 4878, 4879, 4880, द्वारा लोहे के सामान के क्रय हेतु ढुलाई व मजदूरी के रूप में राशि **₹1090.00** का अधिक भुगतान किया गया था जबकि चयनित/निर्धारित निविदाओं की जांच में पाया गया कि किराया व मजदूरी की भुगतान राशि लोहे के सामान के क्रय मूल्य में ही सम्मिलित होने तथा निविदाओं में कहीं

भी अलग से मांग/भुगतान करने का जिक्र न होने के कारण कुल राशि ₹6172.00 (2562+2520+1090) का गलत व अनुचित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 142/2025 दिनांक 16/07/2025 द्वारा यह प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा निविदाओं में निर्धारित दर से अधिक दर में भुगतान करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये और ऐसे अनुचित भुगतानों पर अंकुश लगाने हेतु ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाये।

9.5 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गए निर्माण कार्य में राशि ₹0.01 लाख का दोहरा भुगतान करना:-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन किया जाना अपेक्षित है तथा पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान के शीघ्र वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 02/2025 के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया कि “निर्माण कार्य एबुलेंस रोड हंस राज के घर से अमरनाथ के घर तक गाँव खटविन” को कुल सीमेंट 85 बैग तकनीकी सहायक के द्वारा लगाये जाने सुनिश्चित थे, जिनके ढुलान का भुगतान ग्राम पंचायत के स्टोर से वर्क साइट तक बाउचर संख्या 159 दिनांक 27.07.2024 द्वारा किया जा चुका था परंतु वाउचर संख्या 128 द्वारा 50 बैग के ढुलान का भुगतान राशि ₹1000/- दोबारा किया गया था, जबकि सीमेंट की ढुलाई का भुगतान एक बार ही किया जाना अपेक्षित है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 142/2025 दिनांक 16/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा किये गए दोहरे भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये और उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाए जाएँ।

9.6 अनुदान प्लानिंग शीर्ष के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु बिना बिलों के राशि ₹0.18 लाख का भुगतान करना:-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 47, 48 और 61 के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी आपूर्ति के भुगतान की मांग बिलों पर ही पेश की जानी निर्धारित है तथा लेखों का सही वर्गीकरण पूरी और सही विशिष्टियाँ बताने वाले वाउचर द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है ” ।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 02/2025 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान प्लानिंग शीर्ष के अंतर्गत राशि ₹17500.00 के भुगतान के संदर्भ में आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त नहीं किए गए थे, बिना बिलों के यह भुगतान अनियमित प्रतीत होता है ।

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 142/2025 दिनांक 16/07/2025 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया । प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित बिना बिलों के भुगतान के बिलों को लेकर अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः बिना बिलों के आपूर्तिकर्ता को अदायगी करने का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्ट्रों का अनुसरण करना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्ट्रों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरुपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपतिजनक है ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	प्रारूप संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33

3	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बन्धित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 136/2025 दिनांक 11/07/2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में, सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्ट्रों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 136/2025 दिनांक 11/07/2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या जी पी धनेड 14/2025 दिनांक 17.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।
- 13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

25 NOV 2025

र.ग. शर्मा

(पूजा शर्मा)

सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

दूरभाष 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)7/2016 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
- 5 पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

र.ग. शर्मा

(पूजा शर्मा)

सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या "4" में संदर्भित

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3873155.64	5353341.00	9226496.64	4822071.00	4404425.64

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की स्वः स्रोत व अनुदान (1(i)+2) मन्रेगा सहित

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2571620.64	3995569.00	6567189.64	4585508.00	1981681.64


 Secretary
 Gram Panchayat
 Distt. Hamirpur (H.P.)

परीक्षा '1.1' पैरा संख्या '4' में संदर्भित

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177001						
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1. स्वयं स्रोत व अनुदान, 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3873155.64	3147409.00	7020564.64	2616139.00	4404425.64

1 (i) स्वयं स्रोत व अनुदान (समेकित) (15वां वित्तायोग के अतिरिक्त) ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2571620.64	1789637.00	4361257.64	2379576.00	1981681.64

1 (ii) 15वां वित्तायोग ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1301535.00	1357772.00	2659307.00	236563.00	2422744.00

2) मनरेगा ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0.00	2205932.00	2205932.00	2205932.00	0.00


 Secretary
 Gram Panchayat ...
 Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट '1.2' पैरा संख्या '4' में संदर्भित

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177001

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)	
1	स्व: स्तोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100118450	214333.60	1983511.35
2	स्व: स्तोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100112997	731186.18	
3	स्व: स्तोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100112988	1015835.57	
4	स्व: स्तोत व अनुदान	इंडस इंड बैंक हमीरपुर	100201514082	22156.00	2422744.00
5	15 वें वित्तियोग	पंजाब नेशनल बैंक धनेड	1728000100150544		
कुल योग					4406255.35


Secretary
Gram Panchayat ..
Distt. Hamirpur (H.P.)
Shanved.

Office Memorandum (H.F.)
 Date: 20/10/2022
 To: The Director, P.W.D.
 From: The Engineer, P.W.D.
 Subject: ...

List of ...					...
Sl. No.	...	...	...	...	
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	
3	...	...	...	...	
4	...	...	...	...	
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	
7	...	...	...	...	
8	...	...	...	...	

परिशिष्ट '1.35' पैरा संख्या '41' में संदर्भित

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177001

दिनांक 31.03.2025 को वित्तीय स्थिति का अंत शेष

1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बाहियों का अंतिम शेष		4404425.64
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	4406255.35	
3	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि	432.00	4406687.35
अन्तर			2261.71

दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी

1	स्व: स्वीत व अनुदान (समीकेत) की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1981681.64
2	15वें वित्तियोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	2422744.00
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बाहियों का कुल अंतिम शेष	4404425.64
4	दिनांक 31.03.2025 को असमायोजित राशि (जमा)	1829.71
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बाहियों का शुद्ध अंतिम शेष	4406255.35
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	4406255.35
अन्तर		0.00


Secretary
Gram Panchayat
Distt. Hamirpur (H.P.)

परीक्षा '2' पैरा संख्या '7.1' में संदर्भित

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(01.04.2024 से 31.03.2025)

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृह कर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	8400.00	523	100	52300	60700.00	60100.00	600.00


 Ghanshyam Chaudhary
 Secretary
 Gram Panchayat
 Dhaneid (H.P.)

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

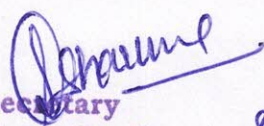
आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्राजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करना
(01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामान	मात्रा	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o W/Crate in the Land of Sut Khad Rajinder Kumar Mahinder V Savitri Devi Vill Dhaned	140	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Stone	50	32250.00
2	MNREGA	C/o Wire Crate in the Shamshanghat Vill Talasi Khurd	137	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Stone	30	19350.00
3	MNREGA	C/o Wire Crate in the Land of Narian da cho Niharli Vill Talasi Kallan	138	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Stone	25	16125.00
4	MNREGA	C/o Wire Crate Near Suka well Vill Khatwin	139	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Stone	50	32250.00
5	MNREGA	C/o Protection Wall Jeevan Kumar S/o Deena Nath Vill Talasi Kallan	166	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	10	11870.00
					sand	5	6091.00
6	MNREGA	C/o RWH Tank Kewal Singh S/o Basant Ram Vill Rakhla Dhaned	168	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	13	15432.00
					Sand	8	9915.00
7	MNREGA	C/o Land Dev And Protection Wall Near the H/o Kamal Dev S/o Parmand Vill Dhaned	153	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	8	9496.00
					sand	6	7704.00
8	MNREGA	C/o Land Dev Protection Wall Near the H/o Devender Kumar S/o Basant Ram Vill Rakhla	154	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	8	9496.00
					sand.	5	6984.00
9	MNREGA	C/o Land Dev. & Protection Wall Near the Cowshed Desh Raj S/o Sansar Chand Vill Dhaned	136	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	6.8	8071.00
					Sand	3	4194.00
10	MNREGA	C/o Land Dev. & Protection Near the H/o Bal krishan S/o Deena Nath Vill Talasi Kallan	135	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	8.5	10089.00
					Sand	6	8388.00
11	MNREGA	C/o Land Dev. & Protection Wall Near the H/o Leela Devi W/o Jagdish Chand Vill Dhaned	156	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	9	10683.00
					Sand	6	8182.00
12	MNREGA	C/o Rasta V Protection Wall Vill Dhaned Rakhla	161	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	47	55789.00
					Sand	25	34211.00
13	MNREGA	C/o Protection Wall Joginder Singh S/o Ami Chand Village Dhaned	133	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	8.4	9970.00
					sand	6	8388.00
14	GIA Planning	C/o Mahila Mandal Talasi	143	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	10	11870.00
					Sand	6	8388.00
15	GIA Planning	R/wall Near the H/o Rajinder Kumar Vill. Dhaned	150	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	12	14244.00
					Sand	6.2	1398.00
16	GIA Planning	C/o Pully Talasi Khurd	144	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	12	14244.00
					Sand	6.5	9087.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	10	11870.00

Secretary
Gram Panchayat ... Dhaned
Distt. Hamirpur (H.P.)

24

17	GIA Planning	C/o Path From Prem Chand house to main path Khatwin	141	Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	sand	6	8388.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	stone	7	4515.00
18	GIA Planning	C/o Path From Prem chand House to Suresh Kumar Vill. Khatwin	142	Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	14	16618.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Sand	7.5	10485.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	stone	9	5805.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	sand	6	7607.00
19	GIA Planning	C/o Amulance Road Dhani Ram House to School Khatwin	152	Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	13	15436.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Sand	7	9786.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Stone	14	9030.00
20	GIA Planning	C/o S/Marg & R/Wall Near H/o Ravinder Kumar Subhash Chand Vill. Dhaned	151	Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	18	21366.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Sand	9.2	12861.00
21	GIA Planning	C/o Road From Vill. Dhanec to Shamshanghat	164	Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	12	12244.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	sand	7	9786.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Stone	14	9033.00
22	GIA Planning	C/o Path Village Talasi Kallan	167	Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	20	23740.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	sand	10	13980.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Gatka	9	10683.00
23	GIA Planning	C/o S/Marg R/Wall Village Khatwin	169	Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	21	24927.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	sand	11	15378.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Gatka	10	11876.00
27	GIA Planning	C/o CSC Near Panchayat Ghar Dhaned	132	Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	22	26114.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	sand.	13	18174.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Stone	2.8	1806.00
			158	Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	agg.	4	4748.00
				Subhash Chand Vill. Banalt P.o. Bari The.& Disstt. Hamirpur	sand.	10	13980.00
Total							724395.00


 Secretary
 Gram Panchayat ..Dhaned
 Distt. Hamirpur (H.P.)

25

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या '8.2' में संदर्भित

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.टी. डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The. & Distt. Hamirput	Agg. Sand, Boulder	739809	14796.18
2		Gautam Steel Sale Salouni VPO Salouni Teshil Barsar Distt. Hamirpur	Steel TMT	251000	5020.00
Total				990809.00	19816.18


Secretary
Gram Panchayat ...
Distt. Hamirpur (H.P.)

26

परिशिष्ट '5' पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित								
ग्राम पंचायत धनेड़, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर								
पत्थर की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती न करना								
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा वर्ग मीटर	कुल भुगतान (₹)	रिक्तियां (Voids) (₹)
1	MNREGA	C/o W/Crate in the Land of Sut Khad Rajinder Kumar Mahinder V Savitri Devi Vill Dhaned	140	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Boulder	50	32250.00	4031.25
2	MNREGA	C/o Wire Crate in the Shamshanghat Vill Talasi Khurd	137	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Boulder	30	19350.00	2418.75
3	MNREGA	C/o Wire Crate in the Land of Narian da cho Niharli Vill Talasi Kallan	138	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Boulder	25	16125.00	2015.63
4	MNREGA	C/o Wire Crate Near Suka well Vill Khatwin	139	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Boulder	50	32250.00	4031.25
5	MNREGA	C/o Path From Prem Chand house to main path Khatwin	139	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Boulder	7	4515.00	564.38
6	MNREGA	C/o Path From Prem chand House to Suresh Kumar Vill. Khatwin	139	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Boulder	9	5805.00	725.63
7	MNREGA	C/o Amulance Road Dhani Ram House to School Khatwin	139	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Boulder	14	9030.00	1128.75
8	MNREGA	C/o Road From Vill. Dhanec to Shamshanghat	139	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Boulder	14	9033.00	1129.13
9	MNREGA	C/o CSC Near Panchayat Ghar Dhaned	139	Subhash Chand Vill. Banalt P.O. Bari The.& Disstt. Hamirpur	Boulder	2.8	1806.00	225.75
Total							130164.00	16270.50


 Secretary
 Gram Panchayat, Dhaned
 Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट '6' पैरा संख्या '9.2' में संदर्भित				
ग्राम पंचायत धनेड, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण दीवार, जोगिंदर सिंह के घर के नजदीक, गाँव धनेड।				
निधि का नाम - मनरेगा				
स्वीकृत राशि - 54575/-				
कुल खर्च राशि - 50000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	माप पुस्तिका में दर्शाई गई मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत (घन मीटर)
MB-2764 83,84	1:4:8	9.32	0.47	4.38
कुल योग				4.38
बिल संख्या-133 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				6
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				1.62
क्रय दर				1398
अधिक भुगतान राशि				2264.76
कुल योग				2265/-

2. निर्माण कार्य का नाम :- सी एस सी धनेड।				
निधि का नाम - अनुदान प्लानिंग				
स्वीकृत राशि - 5,00,000/-				
कुल खर्च राशि - 5,00,000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	माप पुस्तिका में दर्शाई गई मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	टाइल्स (वर्ग फुट)
MB-128 81-88	टाइल्स (16x16) 01 पेटी = 9 वर्ग फुट	24.88	10.76	267.70
कुल योग				267.7
बिल संख्या-917 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा (35 x 9) वर्ग फुट				315
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री = $315 - 267.7 = 47.3 / 9 = 5.25$ पेटी				5
क्रय दर				550
अधिक भुगतान राशि				2750.00
कुल योग				2750/-

Secretary
Gram Panchayat ... Dhaneid
Distt. Hamirpur (H.P.)

3. निर्माण कार्य का नाम :-सामुदायिक हाल, गाँव लिंगविन।

निधि का नाम - अनुदान प्लानिंग

स्वीकृत राशि - 1,90,000/-

कुल खर्च राशि - 1,90,000/-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	माप पुस्तिका में दर्शाई गई मात्रा (वर्ग मीटर)	रूपांतरण कारक	आइरन टाटा शीट (वर्ग फुट)
MB-128 96	आइरन टाटा शीट 50mm 10x4x3=120 वर्ग फुट 10x3x35=1050 वर्ग फुट कुल= 1170 वर्ग फुट	48.75	10.76	524.55
कुल योग				524.55
बिल संख्या-4745,4739 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा (वर्ग फुट)				1170
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री (1170-524.55=645.45/30=21.51शीट)				21.51
क्रय दर (जी एस टी 18% सहित)				1350
अधिक भुगतान राशि				29038.50
कुल योग				29038/-

4. निर्माण कार्य का नाम :-महिला मण्डल, गाँव तलासी।

निधि का नाम - अनुदान प्लानिंग

स्वीकृत राशि - 1,90,000/-

कुल खर्च राशि - 1,90,000/-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	माप पुस्तिका में दर्शाई गई मात्रा (वर्ग मीटर)	रूपांतरण कारक	आइरन टाटा शीट (वर्ग फुट)
MB-128 94,95	आइरन टाटा शीट 50mm 10x4x4=160 वर्ग फुट 10x3x01=30 वर्ग फुट 12x3x30=1080 वर्ग फुट कुल= 1270 वर्ग फुट	72	10.76	774.72
कुल योग				774.72
बिल संख्या-4878,4879 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा (वर्ग फुट)				1270
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री (1270-774.72=495.28/36=13.75 शीट)				13.75
क्रय दर (जी एस टी 18% सहित)				1650
अधिक भुगतान राशि				22687.50
कुल योग				22687/-

Shanved
Secretary
Gram Panchayat ..
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट '७' पैरा संख्या ९.८ में संदर्भित
ग्राम पंचायत धनेड विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वाले

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o W/crate in the land of Sut Khad Rajinder kumar vill dhaneD	140	Neelkhanth Udyog vill Ropa, PO Naiti, Hamirpur, HP	Steel Wire	32250.00 ✓
2	MNREGA	C/o W/crate shamshan ghat vill talasi	137	Neelkhanth Udyog vill Ropa, PO Naiti, Hamirpur, HP	Steel Wire	19350.00 ✓
3	MNREGA	C/o W/crate in the land of Narinda cho Niharli vill talasi kallaD	138	Neelkhanth Udyog vill Ropa, PO Naiti, Hamirpur, HP	Steel Wire	16125.00 ✓
4	MNREGA	C/o W/crate shamshan ghat vill DhaneD	1491	Neelkhanth Udyog vill Ropa, PO Naiti, Hamirpur, HP	Steel Wire	37310.00 ✓
5	MNREGA	C/o W/crateBall khad in the land of kuldeep balbir v shamsher singh vill dhaneD	1492	Neelkhanth Udyog vill Ropa, PO Naiti, Hamirpur, HP	Steel Wire	31850.00 ✓
6	GIA Planning	C/o Community Hall at vill Lingwin	66,67,68,69	Goutam Steel, vill & PO Salauri, Hamirpur	Iron and sheets	108380.00 ✓
7	GIA Planning	C/o Mahila Mandal Bhawan at vill Talasi	79	Goutam Steel, vill & PO Salauri, Hamirpur	Iron and sheets	48904.00 ✓
Total						294169.00 X

Shawar
Secretary
Gram Panchayat
Distt. Hamirpur (H.P.)
Shawar

